— 4

प्रेषक,

विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलिया

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश
बलिया

**विषयः–** **उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनाँक 28 जून, 2024 व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0– 10219/IV–F–82(Pension)/Admin.A dated– July 29, 2024 के अनुक्रम में शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनाँक 11 जुलाई, 2024 के प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना को चुने जाने का विकल्प चुनने के बावत प्रार्थना–पत्र।**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत हैः–

1– यह कि प्रार्थी महेश चन्द्र वर्मा पुत्र श्री राम शंकर, वर्तमान में विशेष न्यायाधीश(आ0व0अधि0)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के पद पर कार्यरत है।

2– यह कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन **सहायक अभियोजन अधिकारी–2002** के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति **अभियोजन विभाग, उ0प्र0** में **सहायक अभियोजन अधिकारी** के पद पर दिनाँक– 28.03.2005 को हुआ था, जिसकी **विज्ञप्ति सं0– ए–4/ई–1/2002** है जिसमें प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनाँक– 11.05.2005 है।

3– यह कि प्रार्थी की न्यायिक सेवा में नियुक्ति दिनाँक– 26.05.2006 को **उ0प्र0 न्यायिक सेवा–2003** के अन्तर्गत **अपर सिविल जज(जू0 डि0), गोरखपुर** के पद पर जनपद न्यायालय, गोरखपुर में हुई। उक्त पद पर प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनाँक– 21.06.2006 है। जिसका **विज्ञापन सं0– ए–2/ई–1/2003** है। जिसके अनुक्रम में प्रार्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के पद पर कार्यरत है।

4– यह कि प्रार्थी वर्तमान में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है। किन्तु, प्रार्थी उ0प्र0 शासन के **शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनाँक 28 जून, 2024** के अनुक्रम में **उ0प्र0 सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961** के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** का **वरण/चयन कर रहा है।** जिसके लिए प्रार्थी द्वारा उ0प्र0 शासन के उक्त **शासनादेश**

सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 **दिनाँक 11 जुलाई, 2024** के **संलग्नक** के रूप में जारी **विकल्प–पत्र** को भर कर **पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन** करते हुए, प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ आदरणीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आदरणीय महोदय से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि **उ0प्र0 सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961** के अन्तर्गत **"पुरानी पेंशन योजना"** का लाभ प्रार्थी को प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय

दिनाँकः– 02.08.2024

2/8/2024

**(महेश चन्द्र वर्मा)**
विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलिया

**संलग्नकः–** उक्त शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनाँक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प–पत्र।

**प्रतिलिपि–** आदरणीय महानिबन्धक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलिया।**

दिनाँक– अगस्त 02, 2024

**पत्रांक सं0–** 3198/XV

3197/XV **1.** अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रसारित।

✓ **2.** आदरणीय महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश
बलिया।

District Judge
Ballia

## घोषणा-पत्र

मैं, महेश चन्द्र वर्मा, विशेष न्यायाधीश(आ.व.अधि.)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 14 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

24/8/2024

हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-

**(महेश चन्द्र वर्मा)**
विशेष न्यायाधीश(आ.व.अधि.)/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलिया
J.O. Code-UP6359

**सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा**

श्री महेश चन्द्र वर्मा, पदनाम-विशेष न्यायाधीश(आ.व.अधि.)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलिया

District Judge
Ballia